हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 जून, 2014

सख्या का०आ० 59/पं०अ० 16/1952/धा० 22/2014.– पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16), की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2. पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952 में, नियम 9 में, उप-–नियम (1) में, प्रथम परन्तुक में,–

(क) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

" (i)	चालक को छोड़ कर तीन सीटों से अधिक ऑटो रिक्शा,	शर्त के अधीन रहते हुये कि यह नगरपालिका सीमाओं के बाहर पांच किलोमीटर परिधि तक चलाए जाने के लिए अनुज्ञात होगा।	₹ 500 (प्रति वर्ष प्रति सीट)	आबकारी तथा कराधान विभाग हरियाणा ₹ 425/– प्रति वर्ष प्रति सीट (यात्री कर)	राज्य परिवहन नियंत्रक, हरियाणा ₹ 75/–प्रति वर्ष प्रति सीट (पथकर)
(ii)	चालक को छोड़ कर तीन सीटों तक ऑटो रिक्शा,	शर्त के अधीन रहते हुये कि यह नगरपालिका सीमाओं के बाहर पांच किलोमीटर परिधि तक चलाए जाने के लिए अनुज्ञात होगा।	—	छूट प्राप्त	—

परन्तु उपरोक्त प्रविष्टियों के अधीन यथाविहित सम्पूर्ण संयुक्त कर, राज्य परिवहन नियंत्रक, हरियाणा द्वारा एकत्रित किया जाएगा और इस प्रकार एकत्रित यात्री कर की

राशि आबकारी तथा कराधान विभाग के शीर्ष "0042–माल तथा यात्रियों पर कर–लघु शीर्ष / उप शीर्ष–103–कर संग्रह यात्री कर" में अन्तरित की जायेगी;", तथा

(ख) खण्ड (vi) में, उप खण्ड (क) तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :–

"(क)	एक टन तक	छूट प्राप्त
(क (i))	एक टन से अधिक किन्तु दस टन से अनधिक	₹ 4000/–प्रति वर्ष।"।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।